महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका

डॉ0 पूजा यादव
शांति निकेतन, सुंदरपुर बेला, परमेश्वर चौक, दरभंगा (बिहार)

सार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण समाज की सामालिक संरचना में परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान किया है। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं साथ ही विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आई विफलताओं को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीणों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया है। सरकार द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को पहले 33 प्रतिशत और अब 50 प्रतिशत आरक्षण देने से वे राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं बल्कि समाज के हित में वाजिब फैसले भी ले रही हैं। वर्ष 2006 में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का कारवाँ बिहार से चलकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराँचल में भी पहुँच चुका है। ऐसे में केंद्र की ओर से सभी राज्यों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किए जाने की पहल मील का पत्थर साबित हो रही है। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत ने अमूल्य योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंचायत से शुरू हुआ कदम अब उच्च सदन तक पहुँच गया है। इस तरह देखा जाए तो पंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरूआत हुई है।

मुख्य–बिन्दुः *महिला सशक्तिकरण; केन्द्र सरकार; महिला भागीदारी; प्रयास की आवश्यकता; विश्व पारिदृश्य*

परिचय

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी शुरूआत वर्षों पहल हो गई थी। गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नहीं थी। वह जानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी जबतक उन्हें उनके मूल अधिकार नहीं मिल सकते हैं। इसके विकास के पहले पायदान यानी पंचायत में उनकी भूमिका होनी चाहिए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में सबसे हपहले 1931 में महिला पदाधिकार और प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव परित किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के विकास पर अलग से सोचा गया। देश के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10स लाख हुई। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 33 प्रतिशत थी लेकिन वे जीतकर आई करीब 38 प्रतिशत । इस कदम से महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारण हकीकत में बदलती नजर आई।

73वाँ संविधान संशोधन के जरिए हर समाज के लोगों को प्रतिधित्व का अधिकार मिला। सबसे ज्यादा खुशियां उन गांवों में मनाई गईं, जहां पंचायती राज होने के बाद भी वह सिर्फ कागजों में दफन थी। लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में संविधान संशोधन कारगर हथियार साबित हुआ और पंचायती राज पूरी तरह से स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बन सका। आधी आबादी को भी जनप्रतिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ, जो संविधान में पहले से मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान संशोधन मे अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया गया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो पीछे धकेल दिया जाता । जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कधा

मिलाकर तरक्की मे सहयोग दिया है। घर – परिवार हो या खेत – खलिहान किसी भी जगह आधी आबादी पीछे नहीं रही है।

केन्द्र की ओर से लागू किया गया साझा न्यूनतम कार्यक्रम एवं पंचायती राज को आर्थिक व सामाजिक के दो प्रमुख कार्यों के साथ पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिए जाने से स्थिति और चमकदार हुई। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जोन से करीब 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है। अब देश में करीब 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनी गई हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास

केन्द्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी–स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना, ई–प्रशासन योजना आदि से गांवों की तस्वीर बदलने लगे हैं। इससे जहों लोगों में जागरूकता आई है वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की ओर से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नित नए कदम से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्राम–सभी से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही है। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि हपंचायत से ही महिलाओं के सशक्तिकरण अथीयान को गति मिली । जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई है। अब तो संसद तक उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

विभिन्न राज्यों में महिलाओं की भागीदारी

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष दो हजार में पूरे देश में महिला सरपंच 7,72,677 थीं वहीं 2004 में उनकी संख्या 8,38,245 तक पहुंच गई। इसी तरह पंचायत समिकत में र्ष 2000 में महिलाओं की संख्या 38,412 से 2004 में 47,455 हो गई। जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 से वर्ष 2004 में 4923 तक पहुंच गई। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों पर सामान्य सीट पर भी महिलाएं कब्जा जमाने में सफल रहीं। सरकार की ओर से पंचायत में मात्र 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यवार मलिा जनप्रतिनिधियों की स्थिति देखें तो केरल में सर्वाधिक 57.24 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि हैं। इसी तरह आंध्रप्रदेश में 33.04 प्रतिशत, असम में 50.38 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 33.75 प्रतिशत, गुजरात में 49.30 प्रतिशत, कर्नाटक में 43.60 प्रतिशत, तमिलनाडु में 36.73 प्रतिशत, उत्तरांचल में 37.85 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 35.15 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। इस तरह औसत भागीदारी करीब 40 प्रतिशत से अधिक है।

और अधिक प्रयास की आवश्यकता

संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। आधी आबादी के मन में अभी भी संशय बना हुआ है। इसके पीछे मूल कारण है अशिक्षा। जो पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित हैं वे तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं सरकार की ओर से भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जहां अभी तक शिक्षा का अभाव है वहां महिला पंचों की भागीदारी अभी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाके में अभी भी महिलाएं पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि के जंजाल में जकड़ी हुई हैं। यही वजह है कि वे पंचायत की बैठकों में जाने से कतराती हैं इस प्रवृत्ति को खत्म करना होगा। जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर स्टांपपैड नहीं बनना होगा। बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन काते हुए पंचायत से जुड़े फैसले खुद करने

होंगे। पुरूष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें। जिन स्थानों पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है क्यों समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नहीं मिली तो यह प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। पुरूष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है किवह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दें।

जिन स्थानों पर महिलाएं आरक्षित हैं वहां की महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नहीं बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नहीं हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नही मिली तो यह प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी। गांवों में स्वतंत्र चेतना विकसित करने की जरूरत है। अब ग्राम विकास के सभी क्षेत्र पंचायतों के अधीन कर दिए गए हैं। सिर्फ इतने अधिकार मिल जाने से काम नहीं होगा बल्कि सहज ढंग से रास्ता तय करना होगा। सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी । इसके लिए कौशल की जरूरत है। एक समझ की जरूरत है जिससे योजना तैयार की जा सके और उसे क्रियान्वित किया जा सके। अगर गांव में इसके लिए सही रास्ता तैयार नहीं किया तो पंचायती राज की वह संभावना नष्ट हो जाएगी, जो गांव के लिए सकारात्मक भूमिका लेकर आई है। इसलिए यह सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है। ग्राम पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए हर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पंचायती राज के गर्भ में कई संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके माध्यम से हम पूरे सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं बशर्ते हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। भारत का भविष्य सच्चे लोकतंत्र का भविष्य हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर तैयार रहना होगा। गांव के स्तर पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना होगा।

पंचायत से संसद तक महिला सशक्तिकरण

पंचायत में महिलाओं को 33 और फिर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद अब संसद में भी 33 प्रतिशत आरक्षण होने जा रहा है। क्योंकि पंचायत में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी उसी तरह से संसद में भी उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह देखें तो अगर पंचायत से यह शुरूआत न हुई होती तो यह कदम संसद तक पहुंच पाएगा, यह कहना मुमकिन नहीं था। वास्तव में विश्व–स्तर पर महिलाओं की 33 प्रतिशत संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र की बीजिंग में हुई चौथी विश्व महिला कांफ्रेंस में आई। इसमें कहा गया किह प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम–से–कम 33 प्रतिशत महिला भागीदारी होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की बात करें तो 1995में सरकार ने 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार की प्रतिबद्धता का बिल पेश किया था, लेकिन विरोध हुआ। इसके बाद 12 सितंबर 1996 को लोकसभा भंग होने के कारण यह बिल अधर में रह गया। इसके बाद 26 जून 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पेश किया। मई 2003 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी इस विधेयक को संसद में लोने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर मनमोहन सिंह सरकार ने 6 मई, 2008 को 108वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा के बजाय राज्य सभी में पेश कियां राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून, 2009 को 15वीं लोकसभा के अभिभाषण में सरकार की सौ दिनों की प्राथमिकताओं में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना घोषित किया।

विश्व परिदृश्य

भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है। यहां लोकसभा में 10.8 और राज्यसभा में 9 प्रतिशत महिलाओं की मौजूदगी है। इस मामले में भारत दुनिया में 99वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर–संसदीय संघ की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान लोकसभा के 545 सदस्यों में 59 और 223 सदस्यीय राज्यसभा में सिर्फ 21 महिला सांसद हैं। वहीं

पकिस्तान 49वें नम्बर पर काबिज है। वहां उच्च सदन में 17 प्रतिशत और निचले सदन में 22 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस सूची में चीन 21.3 प्रतिशत के साथ 55वें स्थान पर और बांगलादेश 21.3 प्रतिशत के साथ 67वें स्थान पर है। श्रीलंका 125वें स्थान पर है। वहां की 225 सदस्यीय नेशनल असेंबली में सिर्फ 13 महिलाएं हैं। अफ्रीकी देश रवांडा सबसे ऊपर है। रवांडा के निचले सदन में 53 प्रतिशत व उच्च सदपन में 34 प्रतिशत महिलाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर है। सुची में चौथा स्थान क्यूबा, पांचवां आइसलैंड का और छठा फिनलैंड का है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस मामले में काफी पीछे है। उसे सूची में 74वां स्थान मिला है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे 12 देशों में महिला सांसदों की भागीदारी शून्य है। ब्रिटेन के 646 सदस्यीय निचले सदन हाउस आफ कामंस में 128 महिला सांसद हैं यानी 20 प्रतिशत । भारत से पहले नेपाली संसद में महिलाओं की भागीदारी जहां 18.7 प्रतिशत है तो अरब देशों में मात्र 10.1 प्रतिशत।

निष्कर्ष

देश एवं समाज के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत अतीत में भी थी वर्तमान में है एवं भविष्य में भी रहेगी, लेकिन भविष्य की पंचायत को और सुदृढ़ बनाना होगा चूंकि पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है। यह जितनी उन्नत एवं संवैध्धनिक होगी, देश की व्यवस्था में उतना ही अधिक निखार आएगा। पंचायत भारत में संस्था मात्र न होकर शताब्दियों से सहज रूप से एक महत्वपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में विद्यमान है। इस जीवन पद्धति के जरिए भारतीय समाज सर्वोच्च उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भविष्य की पंचायत और सशक्त बनानी होगी, जिससे विकास की गति तेज हो सके। पंचायत ने हर वर्ग को हिस्सेदारी दिलाते हुए लोकतंत्र की असली तस्वीर दिखाई है। यही वजह है कि संविधान निर्माण के वक्त ही गांधीजी के ग्राम स्वराज पर चर्चा हुई और संविधान के अनुच्छेद 40 में संशोधन करके पंचायत को जोड़ा गया। यह अलग बात है कि उस समय पंचायत को वह अधिकार नहीं मिला, जो आजादी के वक्त ही मिल जाना चाहिए था। लेकिनह समय केक साथ इस चुक को महसूस किया गया और संविधान मे संशोधन की जरूरत समझी गई । संविधान के 73वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम स्वराज के सपने को साकार किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के कारण महिला सशक्तिकरण को अत्यधिक बल मिला है और उसी के चलते स्त्रियों की रचनात्मकता भी बढ़ी है। आज ग्रामीण महिला भी समस्त कानूनों को जानने लगी हैं। वह अपने अधिकारों को जानती हैं और उनके लिए लड़ने को भी तत्पर है। साथ ही वह अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही है।

संदर्भ

- सुब्राता के0 मित्रा एण्ड वी0बी0 सिंह,(1999) 'डेमोक्रेसी एण्ड सोशल चेंज इन इण्डिया: ए क्रौस–सेक्शनल एनालायसिस ऑफ द नेशनल इलेक्टोरेट, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- बैरोन–कोहेन, साइमन, (2003) 'द एसेंसियल डिफरेंस: द ट्रुथ एबाउट द मेल एण्ड फीमेल ब्रेन, पर्सियस बुक्स ग्रुप, न्यूयॉर्क।
- ब्रिजेंडाइन, लॉन, (2006), द फिमेल ब्रेन' मॉर्गन रोड बुक्स, न्यूयॉर्क।